

कार्यालय कलेक्टर जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/वित्त/6-17/13/2020/181

शिवपुरी, दिनांक 8.6.2020

-:आदेश:-

श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन इंदौर के पत्र क्रमांक/1/11/अनर्क/पौंच/2015/14469/दिनांक 31.03.2020 के द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है, अनुसूची-क एवं कृषि में निर्धारित अनुसूची-द दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक के लिये प्राप्त हुई हैं। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/नि-5/92/4 दिनांक 30 जून 1992 के क्रम में मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-2 परिशिष्ट-6 के नियम-43 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यलयीन आदेश क्रमांक/वित्त 6-17/13/2019/6326/दिनांक 10.07.2019 के तारतम्य में जिला शिवपुरी के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये निम्नानुसार मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें निर्धारित करती हैं:-

अनुसूची-क)

शिवपुरी जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है :-

(ऑफडे रुपयों में)

अवधि	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूलवेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपरे में राउण्डअप कर दैनिक दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
01.04.2020 से 30.09.2020 तक	अकुशल श्रमिक	6500.00	216.66	1775.00	59.17	8275.00	275.83	276.00
01.04.2020 से 30.09.2020 तक	अर्धकुशल श्रमिक	7057.00	235.23	2075.00	69.17	9132.00	304.40	304.00
01.04.2020 से 30.09.2020 तक	कुशल श्रमिक	8435.00	281.16	2075.00	69.17	10510.00	350.33	350.00
01.04.2020 से 30.09.2020 तक	उच्च कुशल श्रमिक	9735.00	324.50	2075.00	69.17	11810.00	393.66	394.00

अनुसूची-द)

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है:-

(ऑफडे रुपयों में)

अवधि	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूलवेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपरे में राउण्डअप कर दैनिक दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
01.04.2020 से 30.09.2020 तक	अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	1290.00	43.00	6640.00	221.33	221.00

उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिये सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश भी देय होगा।

अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों (अजदरों) एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची पूर्व आदेश दिनांक 29.12.2008 के अनुसार रहेगी।



जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

पृ.क्र./वित्त/6-17/13/2020/1181

शिवपुरी, दिनांक 08.05.2020

प्रतिलिपि-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त (म.प्र.) ग्वालियर।
4. श्रम आयुक्त, (म.प्र.) इंदौर।
5. महालेखाकार (म.प्र.) ग्वालियर।
6. जेल महानिरीक्षण, (म.प्र.) भोपाल।
7. समस्त-कलेक्टर.....।
8. कार्मिक, प्रबंधक, (म.प्र.) राज्य भण्डार गृह शिक्षामण्डल परिसर भोपाल।
9. संभाग यंत्री, टेलीग्राफस ग्वालियर।
10. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (म.प्र.) भोपाल।
11. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (म.प्र.) भोपाल।
12. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ (म.प्र.) शासन भोपाल।
13. वन संरक्षक, शिवपुरी।
14. अधीक्षक, पोस्ट ऑफिस, शिवपुरी।
15. संभागीय यंत्री, रेलवे झॉंसी।
16. संभागीय यंत्री (म.प्र.) विद्युत मण्डल शिवपुरी क्रमांक-1 एवं 2 शिवपुरी।
17. संचालक, कोष एवं लेखा (म.प्र.) भोपाल।
18. कमाण्डेंट, भारत तिब्बत पुलिस शिवपुरी/करैरा।
19. समस्त कार्यालय प्रमुख, शिवपुरी.....।
20. अनुविभागीय अधिकारी (समस्त).....।
21. प्राचार्य (समस्त), हायर सेकेंड्री स्कूल शिवपुरी।
22. तहसीलदार (समस्त).....।
23. मुख्य कार्यपालन अधिकारी.....।
24. मुख्य नगरपालिका अधिकारी (समस्त).....।
25. जिला कोषालय अधिकारी शिवपुरी।
26. उप कोषालय अधिकारी (समस्त).....।


जिला-शिवपुरी (म.प्र.)